7806
17/11/14

अनुसूची–14 फारम सख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या – 349/2013–14

श्रीमति इन्द्रकला देवी बनाम श्री कपलेश्वर मंडल वगैरह।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की कार्यवाही श्रीमति इन्द्रकला देवी, पति– शिवजी प्रसाद गुप्ता, ग्राम– नवटोलिया, पोस्ट– दरीमा, थाना एवं अंचल– केवटी, जिला– दरभंगा आवेदिका का परिवाद पत्र जिला जन शिकायत कोषांग, दरभंगा के निबंधन संख्या– 2228/दिनांक– 11.07.2013 के साथ संबंधित प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार का आवेदन पत्र संलग्न कर प्राप्त हुआ है। इस वाद में (1) कपलेश्वर मंडल पिता स्व0 सोने मंडल, (2) मीना देवी पति– स्व0 लक्षमन मंडल, (3) विजय मंडल पिता– स्व0 स्व0 लक्षमन मंडल, (4) दिलीप मंडल पिता– स्व0 पितमरा मंडल, माता– परमीला देवी, (5) फकीर मंडल पिता– स्व0 बोयेलाल (6) मंडल, मोहन मंडल, पिता– स्व0 मजै मंडल सभी विपक्षी सदस्य हैं। इस संदर्भ में अपर समाहर्त्ता, दरभंगा से इस कार्यालय के पत्रांक 1354/दिनांक– 18.07.2013 के द्वारा माँगी गई प्रतिवेदन जो भवदीय पत्रांक 2128/रा0 दिनांक– 27.07.2013 के द्वारा अंचल– केवटी के भूमि का नापी प्रतिवेदन के आलोक में वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। यह भी विदित होता है कि इस वाद मे विपक्षीयों ने कार्रवाई में भाग लेकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है तथा अपनी ओर से Objection Petition दाखिल किया है। अभिलेख पर उपलब्ध आवेदिका एवं विपक्षी के दावे–प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई पूर्ण की गई हैं। आवेदिका एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। आवेदिका के आवेदन पत्र में खेसरा नं0– 2359 में दक्षिण से रास्ता वाला जमीन है 10 कड़ी चौड़ा एवं 400 कड़ी लम्बा जमीन को विपक्षी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इनका कहना है कि उक्त जमीन को खाली कराया जाय।	

21/01/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	आवेदिका के आवेदन पत्र के आधार पर पूर्व में भी इस न्यायालय में प्रश्नगत जमीन के संबंध में भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के अन्तर्गत 149/11–12 चलाया गया है। जिसमें उभय पक्षों को सुनने के उपरान्त दिनांक 20.10.2011 को आदेश पारित किया गया है। उपर्युक्त समीक्षोपरान्त इस वाद में यह विदित होता है कि भूमि विवाद निराकरण 2009 के तहत इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में अंतिम रूप से निष्पादित वाद को पुनः प्रारम्भ से सुनने का कोई अधिकार नहीं है। अतएव इस वाद के आवेदिका का उक्त वाद के आदेश की चूनौती सक्षम प्राधिकार के समक्ष देनी चाहिए थी, जो आवेदिका ने नहीं किया है। अतएव उपरोक्त गौरतलब परिस्थितियों में आवेदिका द्वारा प्रस्तुत वाद में कोई भी अन्यथा आदेश पारित करना समीचीन नहीं होगा। अतः आवेदिका द्वारा प्रस्तुत भूमि विवाद को खारीज किया जाता है। तथा इस वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। ''अभिलेख संचिकास्त करें।'' **लेखापित एवं शुद्धित** 21/01/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 21/01/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	